न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर ए एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 46 सन् 2017
पंजीयन दिनांक 09.03.2017

1. नन्दा पिता वागजी जाति मीणा निवासी विरावली तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़
2. मोती पिता वागजी जाति मीणा निवासी विरावली तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़
3. बालु पिता वागजी जाति मीणा निवासी विरावली तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़
4. रामचन्द्र पिता वागजी जाति मीणा निवासी विरावली तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़

–अपीलांटगण/वादीगण

विरूद्व

1. मदनलाल पिता रतन जाति मीणा निवासी विरावली हाल बगवास तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़
2. शांतिलाल पिता मांगीलाल जाति मीणा निवासी विरावली तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़
3. राधेश्याम पिता मांगीलाल जाति मीणा निवासी विरावली तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़
4. पुनम चन्द पिता मांगीलाल जाति मीणा निवासी विरावली तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़
5. श्रीमती प्रेम विधवा मांगीलाल जाति मीणा निवासी विरावली तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़
6. श्रीमती रूकमण विधवा रतन जाति मीणा निवासी विरावली तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़
7. श्रीमती केसरबाई विधवा रामा जाति मीणा निवासी विरावली तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़
8. भूमिधारी तहसीलदार अरनोद तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ

–रेस्पोडेन्टगण/प्रतिवादीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, अरनोद
प्रकरण संख्या 488/2009 रेवेन्यू वाद निर्णय दिनांक 20.10.2016

उपस्थित– 1. चांदमल गर्ग –अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. दिनेश चन्द दायमा–अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण सं.1 से 7
3. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 8

निर्णय **दिनांक 19.12.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टगण वादीगण ने रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मोजा विरावली तहसील अरनोद मे अपीलान्टगण वादीगण व रेस्पोडेन्टगण सं. 1 से 6 प्रतिवादीगण की पैतृक कृषि आराजीयात आराजी नम्बर 600, 601, 750, 753, 754, 757, 761,764,767, 776, 777, 785, 786, 867, 958 कुल किता 15 कुलिया रकबा 11.92 हैक्टेयर दर्ज रेकार्ड है। उक्त कृषि आराजीयात रतन पिता प्यारा मीणा जो अपीलान्टगण वादीगण व रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण 1 से लगायत 6 के मूल पुरूष ने अपने जीवनकाल मे वादग्रस्त कृषि आराजीयात का 1/2 हिस्सा अपीलान्टगण वादीगण को दे दिया था और कब्जा भी दे दिया था। जिस पर अपीलान्टगण वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। रतन पिता प्यारा मीणा

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सन् 1999 मे बीमार रहे तब रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 1 उन्हे प्रतापगढ़ लेकर आया तब उपरोक्त कृषि आराजीयात मे से रतन पिता प्यारा मीणा ने रेस्पोडेन्ट सं. 7 प्रतिवादी को आराजी नम्बर 753 रकबा 0.18 मे से 1/2 हिस्सा उत्तर दिशा, आराजी नम्बर 754 रकबा 1.43 हैक्टेयर मे से 1/2 हिस्सा उत्तर दिशा व आराजी नम्बर 761 रकबा 1.86 हैक्टेयर विक्रय कर कब्जा दे दिया। उस समय अपीलान्ट्गण वादीगण ने एतराज किया था तब रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 1 ने यह कहा कि जब बंट्वाडा करेगे तब इस भाग को हमारे हिस्से मे से कम कर देगे, विक्रय से प्राप्त प्रतिफल राशि भी अपने पास रखी तथा गांव बगवास मे प्लाट खरीदकर बगवास मे ही रहने लगा। रतन पिता प्यारा मीणा के देहान्त के पश्चात् अपीलान्ट्गण वादीगण ने रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 1 को कहा कि वादग्रस्त आराजीयात का बंट्वाडा कर उनके हिस्से की कृषि आराजीयात अपीलान्ट्गण वादीगण के नाम दर्ज करा देवे तब प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट सं. 1 के इंकार जाने से बंट्वाडा हेतु तथा खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु यह वादपत्र प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपनी ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर सजरे को अस्वीकार किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त वाद मे अभिवचनो के अनुसार तनकियात कायम की जाकर उभयपक्षकारान की साक्ष्य ली जाकर उभयपक्षो की बहस सुनकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट्गण वादीगण का वादपत्र प्रमाणित होना नही मानते हुए अपीलान्ट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र निरस्त किये जाने के निर्णय व डिक्री पारित किये।

राजस्व अपील प्राधिकारी प्रतापगढ़ (राज.)

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.10.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट्गण वादीगण ने इस न्यायालय मे म्याद बाहर प्रथम अपील प्रस्तुत की।

अपीलान्ट्गण वादीगण की ओर से रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण के विरूद्ध अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण सं. 1 से 7 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 8 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपीलान्ट्गण वादीगण ने अपील म्याद बाहर होने से अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

अपीलान्ट्गण वादीगण की ओर से अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र मे वर्णित तथ्य विश्वसनीय व स्वीकार योग्य होने से अपीलान्ट्गण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद ली जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्ट्गण वादीगण ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट्गण वादीगण ने रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण के विरूद्ध मोजा विरावली तहसील अरनोद की कृषि आराजीयात आराजी नम्बर 600, 601, 750, 753, 754, 757, 761, 764 767, 776, 777, 785, 786, 867,958 कुल किता 15 कुलिया रकबा

राजस्व अपील प्राधिकारी प्रतापगढ़ (राज.)

11.92 हैक्टेयर कृषि भूमि के सम्बन्ध मे वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त कृषि आराजीयात मूल पुरूष रतन पिता प्यारा मीणा की थी। रतना ने उक्त कृषि आराजीयात का बंट्वाडा अपने जीवनकाल मे अपीलान्ट्गण वादीगण व रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादी सं. 1 से 6 के बीच मे कर दिया था। अपीलान्ट्गण वादीगण अपने पिता वागजी के हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। रतन पिता प्यारा गांव विरावली मे निवास करता था। सन् 1999 मे बीमार हुआ तब रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी उसे ईलाज के लिये प्रतापगढ लाया। कुछ दिन अपने पास रखा। इसी दरम्यान रतन ने आराजी नम्बर 753 रकबा 0.18 हैक्टेयर मे से 1/2 उत्तरी भाग, आराजी नम्बर 754 रकबा 1.43 हैक्टेयर मे से 1/2 उत्तरी भाग व आराजी नम्बर 761 रकबा 1.86 हैक्टेयर का सम्पूर्ण रकबा रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 7 केसरीबाई पत्नि स्व0 रामा मीणा को बेचान कर दिया। अपीलान्ट्गण वादीगण ने इस बात का विरोध किया तो रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 1 ने कहा कि उसे गांव बगवास मे प्लाट खरीदकर मकान बनाना है जिसमे रूपयो की आवश्यकता है। इसलिये वह अपने हिस्से की जमीन बेचान कर रहा है। जब बंट्वाडा होगा तो अपने हिस्से मे कम जमीन रख लेंगे। कृषि आराजीयात रतन के नाम पर थी। इसलिये विक्रय पत्र रतन से निष्पादित कर पंजीयन करवाया। परन्तु प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 1 ने प्राप्त कर उससे वगवास मे प्लाट खरीदकर मकान बनवाया। अपीलान्ट्गण वादीगण व रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण के मध्य कृषि आराजीयात का राजस्व रेकार्ड मे बंट्वाडा नही हुआ। अपीलान्ट्गण वादीगण ने अपने दादा रतन के देहान्त के पश्चात् कई बार रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 1 से कहा कि तुमने अपना हिस्सा बेचान कर दिया है। हमारा हिस्सा हमारे नाम करावे अपीलान्ट्गण वादीगण ने रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 6 प्रतिवादीगण को भी कहा कि वादग्रस्त कृषि आराजीयात अपीलान्ट्गण वादीगण की पैतृक सम्पत्ति है। जिसमे अपीलान्ट्गण वादीगण का भी हक व हिस्सा है। इसलिये खाते मे उनका नाम दर्ज करवाकर उनका हिस्सा उनके नाम अलग करवा देवे। फिर भी रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 1 आना-कानी कर रहा है जिससे यह वादपत्र प्रस्तुत किया है।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 1 की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। दावे एवं जवाबदावे के अनुसार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने पत्रावली मे उभयपक्षो के अभिवचनो के अनुसार तनकियात कायम की। उक्त तनकियात अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उभयपक्षकारान की साक्ष्य लिवाई जाकर तनकी नम्बर 1 से लगायत 3 जो कि अपीलान्ट वादीगण के जिम्मे नियत थी। उक्त तनकियात को अपीलान्ट्गण वादीगण ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यो से पूर्णतया प्रमाणित करवाया। फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट्गण वादीगण के जिम्मे की तनकियात को उभयपक्षकारान की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन किया जाकर अपीलान्ट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को यह मानते हुए कि वादपत्र मे प्रस्तुत सजरा खानदान के अनुसार स्वयं को रतना की दुसरी पत्नि रूपा के पुत्र वागजी के उत्तराधिकारी सिद्ध करने मे असफल रहे है। जबकि रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2061-2064 ग्राम जामली की खाता सं. 161 तथा नामान्तकरण सं. 200 से सिद्ध होता है कि अपीलान्ट्गण वादीगण चन्दना पिता दल्ला भील निवासी आमलीघाटी के पुत्र वागजी की संतान है। जिससे रतना की विरासत मे किसी प्रकार का हक व अधिकार नही होना

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

मानते हुए अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को निरस्त किये जाने के निर्णय व डिक्री पारित किये है जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। जिससे अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र डिक्री फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण सं. 1 से 7 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अपीलान्टगण वादीगण ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे बंटवाडा, घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध वादपत्र पैतृक कृषि आराजीयात होना मानते हुए प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी ने जवाबदावा प्रस्तुत किया व जवाबदावे मे यह तथ्य अंकित किये कि रतना के रूपा नाम की कोई पत्नि नही थी। अपीलान्टगण वादीगण का रतना के परिवार से कोई रिश्ता नही है। वादपत्र मे झूठे तथ्य अंकित किये है। उक्त जवाबदावे के अनुसार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने पत्रावली मे तनकियात कायम की जाकर तनकीवार निर्णय पारित करते हुए अपीलान्टगण वादीगण अपने खानदान का सजरा प्रमाणित कराने मे असफल रहना व विवादित कृषि आराजीयात अपीलान्टगण वादीगण की पैतृक कृषि आराजीयात साबित नही होना मानते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलान्टगण वादीगण का वादपत्र निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत होने से अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नही है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 8 प्रतिवादी ने अपनी बहस मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत होना मानते हुए अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगण वादीगण ने रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध मोजा विरावली तहसील अरनोद की खतोनी सं. 275 प्रदर्श-1 मे खातेदार रतन पिता प्यारा मीणा के नाम दर्ज कृषि आराजीयात आराजी नम्बर 600, 601,750,753,754,757,761,764 767, 776, 777, 785,786,867,958 कुल किता 15 कुलिया रकबा 11.92 हैक्टेयर कृषि भूमि के सम्बन्ध मे बंटवाडा, घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसमे रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी ने अपनी ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के अनुसार तनकियात कायम की व उक्त तनकियात पर उभपक्षकारान की साक्ष्य लिवाई जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने पत्रावली मे कायम की गई तनकियात का सही विश्लेषण किये बगैर अपीलान्टगण वादीगण का वादपत्र सजरा प्रमाणित होना नही मानते हुए व अपीलान्टगण वादीगण को निवासी आमलीघाटी के वागजी की संतान होना मानते हुए सजरा प्रमाणित नही माना है जबकि आमलीघाटी निवासी वागजी की जाति भील अंकित है तथा उसके तीन ही पुत्र जिनके नाम नंदिया, मोतीया, वालिया पिता वागजी व उसकी पत्नि का नाम जुमली होना जमाबन्दी मे दर्ज है। फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलान्टगण वादीगण का वादपत्र निरस्त किये जाने के निर्णय व डिक्री पारित किये है, जबकि खातेदार रतन पिता प्यारा मीणा ने अपने जीवनकाल मे दो पत्नियां रखी है जिसमे प्रथम पत्नि रूपा द्वितीय पत्नि रूकमण रही है। प्रथम पत्नि रूपा का पुत्र वागजी रहा है जिसका रतन के जीवनकाल मे स्वर्गवास हो चुका था। रतन की द्वितीय पत्नि रूकमण जो कि प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट सं. 6 के रूप मे पक्षकार मुकदमा है जिसके दो पुत्र मांगीलाल व मदनलाल हुए। जिसमे से मांगीलाल बडे पुत्र का स्वर्गवास हो चुका है व उसके वारिस प्रतिवादी सं. 2 से 5 रेस्पोडेन्ट के रूप मे पक्षकार है। दुसरा पुत्र रेस्पोडेन्ट सं. 1 मदनलाल है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगण वादीगण ने जो सजरा प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

किया है उक्त सजरे को प्रमाणित करवाने के लिये अपीलान्ट्गण वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे मतदाता सूची प्रदर्श-3, मौका पर्चा पटवारी द्वारा मुर्तिब प्रदर्श-4, रतन मीना की लिखतम प्रदर्श-6, शोक पत्रिका प्रदर्श-7 व मृत्यु प्रमाण-पत्र प्रदर्श-8 प्रस्तुत कर मौखिक गवाह के रूप मे लिखित शपथ पत्र कचरू पिता ऊंकार मीना निवासी सिंधारिया महादेव, वादीगण अपीलान्ट्गण स्वयं एवं स्वतन्त्र गवाह कारू पिता हकरा, मगनलाल पिता भग्गा, मन्नालाल पिता झमकलाल, नन्दा पिता गौतम के प्रस्तुत कर अपीलान्ट वादीगण ने अपने वादपत्र मे अंकित सजरे व विवादित कृषि आराजीयात पैतृक होकर अपने दादा रतन के नाम अंकित होना प्रमाणित करवाया। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उभयपक्षकारान की ओर से प्रस्तुत अभिवचनो के अनुसार जो तनकियात कायम की गई। तनकी नम्बर 1 से लगायत तनकी नम्बर 3 अपीलान्ट्गण वादीगण के जिम्मे थी जो पूर्णतया प्रमाणित थी। फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त तनकियात को प्रमाणित होना नही मानते हुए अपीलान्ट्गण वादीगण का वादपत्र निरस्त किये जाने के निर्णय व डिक्री पारित किये है, जबकि तनकी नम्बर 1 से 3 दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यो से पूर्णतया प्रमाणित हुई है जिससे तनकी सं. 1 से 3 अपीलान्ट्गण वादीगण के पक्ष मे निर्णित होकर अपीलान्ट्गण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट्गण वादीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरनोद के प्रकरण संख्या 488/2009 रेवेन्यू वाद मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.10.2016 निरस्त किये जाकर वादपत्र प्रमाणित होने से अपीलान्ट्गण वादीगण को मोजा विरावली तहसील अरनोद के आराजी नम्बर 600, 601, 750, 753, 754, 757, 761,764,767, 776, 777, 785, 786, 867, 958 कुल किता 15 कुलिया रकबा 11.92 हैक्टेयर के 1/3 हक व हिस्से के खातेदार घोषित किये जाते है। शेष हक व हिस्सा 2/3, वर्तमान जमाबन्दी मे अंकित खातेदारान के नाम वर्तमान हिस्से अनुसार अनुपातिक रूप से दर्ज किये जाने के प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये जाते है। पत्रावली अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि प्राथमिक निर्णय व डिक्री के अनुसार तहसीलदार अरनोद को कमिश्नर नियुक्त कर फर्द बंट्वाडा तलब किया जावे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे फर्द बंट्वाडा कमिश्नर से प्राप्त होने पर उभयपक्षकारान की आपत्ति व एतराज को सुना जाकर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 06.02.2023 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली प्राथमिक निर्णय व डिक्री की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज0)

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

अपील सं. 46/2017 /डिक्री

(1) श्री नन्दा पिता वागजी जाति मीणा निवासी बिरावली तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़ ।
(2) मोती पिता वागजी जाति मीणा निवासी बिरावली तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़ ।
(3) बालु पिता वागजी जाति मीणा निवासी बिरावली तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़ ।

-अपीलान्ट

बनाम

(1) श्री मदनलाल पिता रतन जाति मीणा निवासी बिरावली हाल बगवास तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़ ।
(2) शांतिलाल पिता मांगीलाल जाति मीणा निवासी बिरावली तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़ ।
(3) राधेश्याम पिता मांगीलाल जाति मीणा निवासी बिरावली तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़ ।

-रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, अरनोद .... दि. 20-10-2016 प्रकरण सं. 488/2009 ..... अन्तर्गत धारा 53,88,188 .... रा.का.अ. 1955 निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक 19-12-2022 को अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री चांदमल गर्ग रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री दिनेश दायमा रेस्पो.सं. 1 से 7 शम्भूमल स्वर्णकार राजकीय अधिवक्ता रेस्पो.सं.-8 की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि -

अपील अपीलान्टगण वादीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरनोद के प्रकरण संख्या 488/2009 रेवेन्यू वाद में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20-10-2016 निरस्त किये जाकर वादपत्र प्रमाणित होने से अपीलान्टगण वादीगण को मौजा बिरावली तहसील अरनोद के आराजी नम्बर 600, 601, 750, 753, 754, 757, 761, 764, 767, 776, 777, 785, 786, 867, 958 कुल किता 15 कुलिया रकबा 11.92 हेक्टेयर के 1/3 हक व हिस्से के खातेदार घोषित किये जाते है ।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि ......-...... रुपये हैं, ...-...... द्वारा दिये जाने है । मूल वाद के खर्चे ......-...... द्वारा दिये जाने हैं ।

यह आज दिनांक 19-12-2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है ।

हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक : 19-12-2022

अपील खर्चे :

अपीलान्ट	रूपये	रेस्पोडेन्ट	रूपये
1. अपील के ज्ञापन के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. आदेशिकाओं की तामील		3. आदेशिकाओं की तामील	
4. .... रू. पर प्लीडर की फीस		4. .... रू. पर प्लीडर की फीस	
योग		योग	

P.T.O.